प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-09.07.2020

➢ 24 घंटे के भीतर लूट के मामले का खुलासा

दिनांक 09.07.20 को ग्राम जंगलपुर, थाना पाण्डातराई में अज्ञात आरोपियो के द्वारा प्रार्थी मनोज कश्यप व पारस यादव से 71 लाख 56 हजार अज्ञात दो वाहन (स्कूटी, पैसन प्रो) मोटरसायकल में मुंह बांधकर आये आरोपियों के द्वारा मिर्ची पाउडर फेककर और मोटरसायकल को धक्का मारकर कट्टे से धमकाकर लूट कार्य किया गया है। जिस पर से थाना कुण्डा में प्रार्थी मनोज के बयान के आधार पर अपराध कायम कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई थी। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग श्री विवेकानंद सिन्हा के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री के.एल. ध्रुव के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा श्री बी.आर मण्डावी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया श्री एन.के. बेन्ताल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला श्री अजीत ओगरे तथा थाना प्रभारी कुण्डा उप पुलिस अधीक्षक परिवीक्षाधीन निमितेष सिंह, थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक मुकेश सोम, थाना प्रभारी सिंघनपुरी निरीक्षक कौशल किशोर वासनिक, थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक कपिल देव चंद्रा, थाना प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक बी0पी0 तिवारी व तकनीकी शाखा के हमराह अलग-अलग टीमे बनाकर अपराधियों के धर-पकड़ हेतु अभियान प्रारंभ किया गया। आरोपियों की पतासाजी हेतु सरहदी थाना एवं जिला में नाकाबंदी पांईट लगाया गया तथा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त किया गया।

प्रार्थी मनोज के द्वारा बार-बार बदल-बदल बयान दिये जाने पर संदेह पर कड़ाई से पूछताछ किया गया जिस पर उसके द्वारा घटना की योजना का खुलासा किया गया कि 15 दिवस पूर्व मनोज जब अपने मित्र दिलीप और नारायण चन्द्रवंशी के साथ जब शराब पी रहा था उस दौरान बताया गया कि वह हर सप्ताह अपने सेठ का लाखों रूपये लेकर बिलासपुर व भांठापारा जाया करता है। तब तीनों ने उस राशि को लूट लिये जाने का षड्यंत्र रचा तथा अपने साथ अपने अन्य साथी संजय चन्द्रवंशी, दीपचंद चन्द्रवंशी को भी षड्यंत्र में शामिल कर लिया। दिनांक 08.07.2020 को जब मनोज, नारायण और दिलीप चन्द्रवंशी बायपास रोड में जब शराब पी रहे थे उस दौरान मैं दो-तीन दिन पहले पांच लाख रूपये लेकर गया था और कल मैं 70 लाख रूपये लेकर बिलासपुर जाने वाला हूं मेरे साथ एक अन्य व्यक्ति होगा तब दिलीप ने कहा कि नारायण चन्द्रवंशी तुम जंगलपुर के पास अपने किसी साथी के साथ मिलकर इन पर मिर्ची पाउडर फेककर पैसे लूट लेना और मनोज तुम चिंता मत करना तुमको खरोच भी नही आयेगी बाद में हम सभी पैसे को बराबर बांट लेंगे। मैं पुलिस को गुमराह करने के लिये किसी अन्य दिशा में रहुंगा परंतु लगातार फोन से संपर्क में रहुंगा।

उक्त योजना के दौरान दिनांक 09.07.2020 को सुबह 08-09 बजे के बीच ग्राम जंगलपुर के पास नारायण और उसके एक अन्य साथी के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया परंतु मनोज के द्वारा मामले के खुलासे के उपरांत सभी आरोपियों के स्थानों पर दबिश दी गई जिसमें आरोपी संजय चन्द्रवंशी, दीपचंद चन्द्रवंशी, मुकेश चंद्रवंशी और नारायण की पत्नी से कुल 68 लाख 50 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद

किया गया। आरोपियो के विरूद्ध धारा 394,414,120 बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम किया गया है।

संपूर्ण कार्यवाही एवं सफलता में श्री विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के मार्गनिर्देशन एवं श्री के0एल0ध्रुव, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्री अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश में श्री नरेन्द्र कुमार बेंताल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया, श्री अजीत ओगरे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी कुण्डा उप पुलिस अधीक्षक परिवीक्षाधीन निमितेष सिंह, थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक मुकेश सोम, थाना प्रभारी सिंघनपुरी निरीक्षक कौशल किशोर वासनिक, थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक कपिल देव चंद्रा, थाना प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक बी0पी0 तिवारी एवं कार्यवाही में सम्मिलित स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

<u>गिरफ्तार आरोपी</u>

01. मनोज कश्यप पिता लालाराम कश्यप,
02. दिलीप चंद्रवंशी
03. दीपचंद चंद्रवंशी
04. संजय चंद्रवंशी
05. पिंकी चंद्रवंशी पति नारायण चंद्रवंशी
06. मुकेश चंद्रवंशी

गिरफ्तार आरोपी

ब्जाप्ता रकम 68 लाख 50 हजार रूपये